न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –48 /2020 (प्रार्थना पत्र)

GCMS No. 2020/00182

1. जगदीश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति तेली निवासी ढाकिया, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया, जरिये महाप्रबन्धक (ता0व0) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई (एन0एच0 148) नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0, ए–504, इन्द्रा विहार कोटा (राज0)

–––रेस्पोडेन्ट

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज.)

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने एवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं संशोधित अधिनियम 1997, सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996

उपस्थित:–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी
2. सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– **04.08.2021**

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं संशोधित अधिनियम 1997, सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 551 रकबा 1.48 हे0 में से 0.9417 हे0 अवाप्त की जाकर जारी अवार्ड दिनांक 27.09.2020 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।

जिला कलेक्टर कोटा

3. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2021 को प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के खसरा नं0 551 रकबा 1.48 हे0 स्थित है उपरोक्त आराजीयात का खातेदार टीनेन्ट तथा उक्त आराजी सिंचित व माल द्वितीय है जो सडक/आबादी के पास है, जिसकी पक्की सडक से दूरी 450 मीटर तथा आबादी से 480 मीटर की परिसीमा के अन्दर अन्दर है तथा प्रार्थी के खाते की आराजीयात खसरा नम्बर 551 से अडवा खसरा नम्बर 533 व 554 की आराजीयात उक्त गांव की स्थित है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 दिल्ली बडौदा सड़क निमार्ण हेतु प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 551 की रकबा 1.48 हे0 में से 0.9417 हे0 आराजी को अधिग्रहण सडक निमार्ण कार्य के लिये प्रतिपक्षीगण ने किया तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 के द्वारा पारित एवार्ड क्रमांक/382 दिनांक 27.9.2019 के कॉलम नम्बर 7 में भूमि को सिंचित व सडक तथा आबादी से दूर मानते हुये डी0एल0सी दर 7,81,750/– प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा 18,96,344/– निर्धारित किया गया और प्रतिपक्षी क्रम 2 को भुगतान करने का आदेश पारित किया गया । प्रार्थी द्वारा अपने अडवां खसरा नम्बर 554, 533 की खातेदारों की भूमि जो अवाप्त की गई का मुआवजा निर्धारण उक्त एवार्ड निर्णय दिनांक 27.9.2019 के तहत सिंचित व सडक व आबादी के पास मानते हुए डी एल सी दर 13,95,891/– प्रति0 हे0 के आधार पर करने पर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.1.2020 को प्रतिपक्षी क्रम 1 के यहां प्रस्तुत किया, जिसमें समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रार्थी ने अपने खाते की आराजीयात की गई भूमि का मुआवजा उपरोक्त खसरा नम्बरान के आधार पर करने हेतु निवेदन किया गया जिस आधार पर प्रतिपक्षी क्रम 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) है और उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर इस हुई त्रुटि को संशोधित करने के अधिकारी है ने पटवारी व तहसीलदार रामगंजमण्डी की मौका रिपोर्ट 20.2.2020 की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के मौजा ढाकिया के ख0नं0 551 की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा अंकीय त्रुटि के आधार पर डिफरेंस एवार्ड डी0एल0 सी दर 13,95,891/– प्रति0 हे0 के आधार पर दिनांक 10.8.2020 को डिफरेन्स अवार्ड बनाते हुये अन्दर की राशि 14,89,753/– मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश प्रतिपक्षी क्रम 2 को दिया गया । प्रतिपक्षी क्रम 2 ने अपने पत्र दिनांक 14.9.2020 द्वारा प्रतिपक्षी क्रम 1 को उक्त पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुये यह सूचित किया कि उक्त डिफरेन्स एवार्ड अन्तर की राशि के भुगतान हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधान 3(जी)5 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोटा जिला के परिसीमन हेतु नियुक्त आर्बीट्रेटर (मध्यस्थ) जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की सिंचित सडक व आबादी के पास वाली खातेदारी की अवाप्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.9417 हे0 वाके ग्राम ढाकिया तह0 रामगंजमण्डी की मुआवजा अन्तर

जिला कलेक्टर
कोटा

की राशि 14,89,763/– प्रार्थी को भुगतान किये जाने हेतु आदेश प्रतिपक्षीगण के साथ मध्यस्थता कार्यवाही कर पारित फरमाया जावें ।

4. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक व अप्रार्थी सं0 2 की ओर से सुश्री महेन्द्रा कुमारी अभिभाषक उपस्थित । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है । उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

5. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के खसरा नं0 551 रकबा 1.48 हे0 स्थित है में से 0.9417 हे0 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 दिल्ली बडौदा सड़क निमार्ण हेतु उपरोक्त आराजीयात अवाप्त की गई, जिसका अवार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27.9.2019 को जारी किया जाकर प्रतिपक्षी कम 2 को भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया किन्तु प्रार्थी खातेदार की भूमि सड़क व आबादी से 500 मीटर के अन्दर होने व अन्य पडोसी खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 554, 533 की जो अवाप्त की गई का मुआवजा निर्धारण उक्त एवार्ड निर्णय दिनांक 27.9.2019 के तहत सिंचित व सडक व आबादी के पास मानते हुए डी एल सी दर 13,95,891/– प्रति0 हे0 से किया जाने पर प्रार्थी द्वारा इस आधार पर सक्षम प्राधिकारी महो0 के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की भूमि का मुआवजा सिंचित व सडक व आबादी के पास मानते हुए डी एल सी दर 13,95,891/– प्रति0 हे0 से किया जाने का निवेदन किया जाने पर प्रार्थना पत्र पर मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर पटवारी व तहसीलदार रामगंजमण्डी की रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित अवार्ड दिनांक 4.8.2020 जारी किया गया तथा भुगतान हेतु प्रतिपक्षी कम 2 को भुगतान हेतु भिजवाया जाने पर प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रेषित कर यह सूचित किया कि उक्त डिफरेन्स एवार्ड अन्तर की राशि के भुगतान हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधान 3(जी)5 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोटा जिला के परिसीमन हेतु नियुक्त आर्बीट्रेटर (मध्यस्थ) जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । अतः प्रार्थी अपीलांट की भूमि खसरा नं0 551 की रकबा 0.9417 हे0 भूमि सड़क व आबादी से 500 मीटर के अन्दर होने से आबादी व सड़क सिंचित की डी0एल0सी0 दर 13,95,891/– प्रति0 हे0 की दर से भुगतान के आदेश प्रदान करने की कृपा फरमावें ।

6. वकील अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख0नं0 551 की 0.9417 हे0 किस्म माल द्वितीय सिंचित वाके ग्राम ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (भरतमाला) हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा

जिला कलेक्टर
कोटा

3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–घ के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.2678(अ) दिनांक 26.07.2019 को जारी की जो भारत के राजपत्र में दिनांक 26.07.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10.08.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 551, की 0.9417 हे0 माल द्वितीय निजी जगदीश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति तेली निवासी ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की राधारा 3–जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार किया गया । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा खसरा नम्बर 551 की 0.9417 हे0 माल द्वितीय निजी वाके ग्राम ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित प्रार्थीया की अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–क की अधिसूचना भारत के राजपत्र दिनांक 24.1.2019 के समय प्रचलित डीएलसी दर अथवा 3–क की अधिसूचना के प्रकाशन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान उसी प्रकार की भूमि के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों में से आधे विलेखों या करारों जिनकी उच्चतम विक्रय कीमत हो, की औसतन दर दौनों में से जो भी अधिक हो के अनुसार अवार्ड कमांक 382 दिनांक 27.9.2019 द्वारा किया गया है । प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अवार्ड कमांक/383 दिनांक 27.9.2019 को निर्धारित किया गया है वह पूर्णरूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा जिसमें किसी प्रकार की कोई अंकीय त्रुटि अथवा कमी नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं संशोधित अधिनियम 1997, सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम ढाकिया के खसरा नम्बर 551 की 0.9417 हे0 भूमि उक्त 8 लेन परियोजना (भारतमाला) में अवाप्ति हेतु एवार्ड पारित कर दिया गया । कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 27.9.2019 को प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम

जिला कलेक्टर
कोटा

प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3क की प्रचलित डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है । वकील प्रार्थी के कथनानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 27.9.2019 में तय किये गये मुआवजे के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जांच कराई जाकर प्रार्थी की भूमि आबादी/सडक से 500 मीटर के अन्दर 480 मीटर पर स्थित होने से संशोधित अवार्ड दिनांक 4.8.2020 को जारी किया जाकर भुगतान हेतु आदेश दिये गये । वकील अप्रार्थी के कथनों से हम सहमत है कि एक बार अवार्ड जारी होने पर अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मन्त्रालय नई दिल्ली को भिजवा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में बिना आर्बीट्रेटर के आदेश के अधीनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा नवीन अवार्ड अपने स्तर से जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है । प्रार्थी द्वारा उनकी भूमि सड़क / आबादी से 500 मीटर के अन्दर अर्थात 480 मीटर दूरी पर होने सम्बन्धी उप पंजीयक रामगंजमण्डी के पत्रांक/पंजीयन/2020/11 दिनांक 10.2.2020 मय पटवारी रिपोर्ट दौराने बहस प्रस्तुत की गई जिससे प्रार्थी की भूमि ख0नं0 551 पक्की सड़क एवं आबादी से 480 मीटर दूर और मौके पर सिंचित होना जाहिर आया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. **परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उप पंजीयक रामगंजमण्डी के पत्रांक/पंजीयन/2020/11 दिनांक 10.2.2020 मय पटवारी रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण कर स्वयं सन्तुष्ट होने उपरान्त अवाप्तसुदा भूमि का मूल्य निर्धारण कर संशोधित अवार्ड जारी करें ।**

9. निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

उ० 5/8/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा